न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:—श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :—21/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सोहनलाल पुत्र मंगलाराम 2. पप्पु कुमार पुत्र मंगलाराम जातिगण मोची नि0 धाकड़ी, तह0 सोजत जिला पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक :—05.12.2022

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बागावास, प0ह0 धाकड़ी, तह0 सोजत के वर्तमान खसरा नंबर 1065/1727, 1065/1728, 1065/1726 किस्म बा0दो0 की कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं रहवास उपयोग, उपभोग हेतु आने जाने का एकमात्र रास्ता सरकारी खसरा संख्या 1734/1071 में से मुख्य सड़क से प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता है उक्त रास्तें का कदीम से प्रार्थीगण द्वारा उपयोग, उपभोग किया जाता रहा है। उक्त रास्ते का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न है। प्रार्थी की कृषि जोत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण उक्त नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते से अपनी कृषि भूमि में आते जाते है एवं रास्ते का कदीम से उपयोग करते आ रहा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि से मुख्य सड़क तक ख0न0 1734/1071 रकबा 1.8000 है0 किस्म बा0दो0 सरकारी भूमि है और खाली पडी है। प्रार्थीगण के उक्त स्वयं की जोत में जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त मार्ग की मांग कर रहा है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर जाने हेतु अत्यंत ही आवश्यकता है, केवल अपनी सुविधाजनक उपभोग के लिए रास्ते की मांग नही कर रहा है। कृषि जोत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ए से बी 30 फुट चौड़े रास्ते हेतु राजस्थान अधिकृत अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

तहसीलदार सोजत को न्यायालय हाजा पत्रांक कोर्ट/2020/407—408 दिनांक 02.05.2022 द्वारा वांछित प्रावधानानुरूप तीनो बिन्दुओ : प्रार्थित रास्ते की भूमि वर्तमान मौका स्थितिंकी जॉच मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा वर्तमान डीएलसी दर की सूचना चाही गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/ राजस्व/ 2022/ 2363 दिनांक 27.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बागावास के खसरा नम्बर 1065/1727,

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

1065/1728, 1065/1726 किस्म बा0दो0 की कृषि भूमि खातेदारो द्वारा अपनी खातेदारी में जाने हेतु खसरा संख्या 1734/1071 मे से रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 1734/1071 सिवायचक भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प रास्ता नही है। लट्ठा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 1734/1071 मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 1109 से जुडा हुआ है। इससे होक प्रार्थीगण की खातेदारी निकटतम है। अभिलेख निरीक्षक सुरायता द्वारा राजस्व रेकर्ड व माफिक मौका जांच करवाई गई मौके की भौतिक रिपोर्ट एव नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1734/1071 में मार्क ए से बी उतरी भूजा के सहारे सहारे जो कि **406 मीटर x 4 मीटर = 1624 वर्ग मीटर** अर्थात 0.1624 हैक्टर रास्ता खसरा नम्बर 1065/1727, 1065/1728, 1065/1726 तक पहुंच के लिए एक मात्र निकटतम वैकल्पिक रास्ता स्थित है ।ऐसी स्थिति में उक्त नजरी नक्शा में मार्क ए सी बी रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 143735 रूपये प्रति हैक्टर है। जो दिये जाने से तहसीलदार लैण्ड होल्डर ने कोई आपति होना व्यक्त नही किया है अर्थात अभिशंषा अंकित की गई है।

बहस वकुलाय अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रा0 पत्र के अनुसार प्रार्थीगणअप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1734/1071 रकबा 1.8000 की कृषि भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से मार्क ए से बी दर्शित है जिसकी चौड़ाई करीब 20 है राजस्व अभिलेखों मे इन्द्राज किये जाने की ईशतदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उभयपक्षों को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात तथा मौका रिपोर्ट, पत्रांक/राजस्व/2020/2363 दिनांक 27.09.2022 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में पहूँच प्रस्तावित मार्ग ही एक विकल्प होना तहसीलदार सोजत की रिर्पोट अनुसार परिलक्षित होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1065/1727, 1065/1728, 1065/1726 मे आने जाने के रास्ते मे उपयोग उपभोग में जाने योग्य भूमि मौजा बागावास पटवार हल्का धाकडी तह0 सोजत के खसरा नम्बर 1734/1071 है0 मे से **406 मीटर x 4 मीटर = 1624 वर्ग मीटर** भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 143735 प्रति हैक्टर से अर्थात **406 मीटर x 4 मीटर = 0.1634**

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

हैक्टर x 143735 x 2 गुणा = 46973 रूपये राज्य मद मे जमा करवाया जाकर रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बागावास, प0ह0 धाकड़ी, तह0 सोजत के वर्तमान खसरा नंबर 1065/1727, 1065/1728, 1065/1726 किस्म बा0दो0 उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं रहवास उपयोग, उपभोग हेतु आने जाने हेतु ख0न0 1734/1071 रकबा 1.8000 है0 किस्म बा0दो0 की भूमि मे से **406 मीटरX4 मीटर = 1624 वर्ग मीटर** रास्ता दिया जाता है। जिसकी डीएल सी दर के हिसाब से **406 मीटरX 4 मीटर = 1624 वर्ग मीटर अर्थात** (0.1624 **हैक्टर X 143735 X..02..=.** 46973 रूपये) राजस्व कोष में जमा कराने हेतु व तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति तहरीर के साथ भिजवाई जाकर पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यहनिर्णय आज दिनांक 05/12/22 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत